न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00172 **दायरा दिनांक : 29.05.2018**

उनवान

1– जमनालाल आत्मज श्री रामनाथ जी
2– हेमराज आत्मज श्री रामनाथ जी
3– रामकिशन आत्मज श्री गोपाल जी, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम रामनिवास, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– भैरूलाल आत्मज श्री पीरिया जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम रामनिवास, तहसील अटरू, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 07.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 24/2014 निर्णय दिनांक 23.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट बाबत रिकार्ड दुरूस्ती का पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल रामनिवास, तहसील अटरू, जिला बारां में अप्रार्थी कम 1 के साबिक खाता संख्या 122 खसरा संख्या 66 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में से एक बार खसरा नम्बर 66 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व एक बार खसरा नम्बर 66/217 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एलोटमेंट हुआ तथा 66/226 का 17 बिस्वा गोपाल पुत्र पांचू मीणा, निवासी रामनिवास के एलोटमेंट होकर पूरा 4 बीघा 4 बिस्वा हो गया। जबकि सैटलमेंट से पूर्व भैरूलाल पुत्र पीरिया, जाति गूर्जर, निवासी रामनिवास एलोटमेंट के समय से ही अपनी आवंटनशुदा भूमि 3 बीघा 5 बिस्वा पर ही काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 355/0.20, 356/0.71, 359/0.06, 364/0.38 कुल किता 4 का रकबा 1.35 है0 जो करीबन सवा आठ बीघा होता है सारा रकबा भैरूलाल पुत्र पीरिया गूर्जर, निवासी रामनिवास के खाता संख्या 91 ग्राम रामनिवास में दर्ज कर दिया। जबकि सैटलमेंट से पूर्व भैरूलाल गूर्जर के माल 3 बीघा 5 बिस्वा ही था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया तथा अप्रार्थी कम 1 का जवाब प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि विवादित आराजी ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 355 में 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 356 में रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 359 में रकबा 0.06 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 364 रकबा 0.38 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 1.50 हेक्टर एवं खाता संख्या 93 की भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 358 रकबा0.29 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 0.46 हेक्टर अप्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधी, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने एवं रेस्पोण्डेन्ट का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि रेस्पोंडेंट की आवंटनशुदा भूमि 3

बीघा 5 बिस्वा थी, जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा 1.35 हेक्टर कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर जो पेमाईश कराई गई है, उसमें अपीलांट के खलिहान व मकान भी आ गये हैं, जिनमें वर्षों से अपीलांट का विद्युत कनेक्शन भी हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर रखे हैं और इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने गत 4 वर्षों से मौके पर यथास्थिति बनाये रखने की आज्ञा दे रखी थी, जिसे अब वर्षों बाद निरस्त करना त्रुटिपूर्ण है। न्याय हित में प्रकरण के निस्तारण तक वाद की विषयवस्तु के सम्बन्ध में यथास्थिति रखी जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का वाद दुरुस्ती इन्द्राज का है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र यह आलेखित कर दिया कि वर्तमान में जमाबन्दी में रेस्पोडेंट खातेदार है, अपीलांट का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त कर दिया है, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेंट ने अपने जवाब में भी यह स्पष्ट नहीं किया कि जब रेस्पोंडेंट को 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही आवंटित हुई थी तो वह सेटलमेंट के पश्चात किस प्रकार सवा आठ बीघा हो गई। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी तथा दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम रामनिवास, तहसील अटरू की भूमि खाता संख्या 530 का खसरा नम्बर 355 का रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा संख्या 356 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नं. 359 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 364 रकबा 0.38 हेक्टर कुल किता 4 का रकबा 1.35 हेक्टर में से लगभग 0.32 हेक्टर आराजी जो प्रार्थीगण के स्वामित्व की है जिस पर प्रार्थी कम 1 व 2 ने मकान बना रखे हैं तथा प्रार्थी कम 3 काश्त कर रहा है पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु कथन किया।

प्रार्थना पत्र में जिस पैमाइश रिपोर्ट का जिक है वह पत्रावली में सलंग्न नहीं है जिससे पैमाइश रिपोर्ट की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। प्रार्थी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट की खाते की आराजी 1.35 हेक्टर में से 0.32 हेक्टर पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 0.32 हेक्टर भूमि कौनसी है ? मिलान क्षेत्रफल का भी अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल से भी प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण को अपने पक्ष में सिद्ध नहीं किया गया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का उचित प्रतीत होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थी को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध करना होता है जो नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 7/5/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा